REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY

कार्यवाही का दिनांक	विषयः— पार्टनरशिप डीड का पंजीयन कराने बाबत।
6-8-19	प्राधिकरण व्दारा रेरा वेबसाइट पर सूचना जारी करके ऐसे सभी प्रोजेक्ट जिसके संप्रवर्तक पार्टनरशिप फर्म हैं उनमें पार्टनरशिप डीड के विघटन के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान किए जाने की एक सूचना जारी की गई है। नवीन प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकरणों में इसका परीक्षण किया जा रहा है किन्तु पूर्व में पंजीकृत हो चुके कई पार्टनरशिप डीड में विघटन के प्रावधान प्राधिकरण की अपेक्षा के अनुसार नहीं हैं। अतः प्राधिकरण में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट के संप्रवर्तकों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी विद्यमान पार्टनरशिप डीड में विघटन के लिए पार्टनरशिप अधिनियम के धारा '42—बी' के अनुसार संशोधन करें। संशोधित डीड का पंजीयन कराकर प्राधिकरण में प्रस्तुत करें। सभी अपूर्ण परियोजनाओं के संप्रवर्तकों को यह कार्यवाही पूर्ण करने के लिए 60 दिन समय दिया जाता है। अन्य स्वरूप के संप्रवर्तक जैसे कंपनी या प्रोपायटर आदि पर यह संशोधन करना लागू नहीं होगा। यह सूचना प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित हो। आई.टी.शाखा ऐसे सभी पंजीकृत प्रोजेक्ट जिनमें संप्रवर्तक पार्टनरशिप फर्म हैं उन्हें कम्युनिकेशन से भी सूचना भेजें। ऍन्टोनी डिसा अध्यक्ष अनिरूध्द डी. कपाले 6/8/19 सदस्य दिनेश नायक सदस्य सचिव,